उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

संख्या-भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 25-06-2009

उत्तर प्रदेद्गा पुलिस में आरक्षी (कान्स्टेबिल) पद वेतनमान-पे बैण्ड-**5200-20200 व ग्रेड पे-1900** के **35000** रिक्त पदों को भरने के लिये, जिनके विवरण निम्नवत हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति संख्या-भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 17-02-2009 को प्रकाद्गित की गयी है:-

क0सं0	**श्रेणी**	**संख्या**
1	सामान्य	17500
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	9450
3	अनुसूचित जाति	7350
4	अनुसूचित जनजाति	700
	योग	**35000**

इस विज्ञप्ति के अनुसार अधिसूचित डाकघरों में आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ होने की तिथि 25 मार्च, 2009 तथा आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 25 अप्रैल, 2009 निर्धारित की गयी थी, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे दिनांक 20 मार्च, 2009 को अग्रिम सूचना तक स्थगित कर दिया गया था। आवेदन पत्रों के विक्रय एवं जमा करने की तिथि अब एतद्द्वारा निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1-अधिसूचित डाकघरों में आवेदन पत्रों के विक्रय प्रारम्भ होने की तिथि- 10-07-2009

2-अधिसूचित डाकघरों में आवेदन पत्रों के जमा करने की अन्तिम तिथि- 10-08-2009

आवेदन पत्रों के विक्रय हेतु अधिसूचित डाकघरों की संद्गोधित सूची:-

क0सं0	**जनपद**	**डाकघर का नाम**	**क0सं0**	**जनपद**	**डाकघर का नाम**
1	अलीगढ़	मुख्य डाकघर अलीगढ़	12	बागपत	मुख्य डाकघर बड़ौत
2	अलीगढ़	अतरौली	13	बस्ती	हरैया
3	महामाया नगर	हाथरस	14	बिजनौर	मुख्य डाकघर बिजनौर
4	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर इलाहाबाद	15	बिजनौर	मुख्य डाकघर धामपुर
5	इलाहाबाद	मुख्य डाकघर कचहरी इलाहाबाद	16	बिजनौर	मुख्य डाकघर नजीबाबाद
6	इलाहाबाद	उप डाकघर इलाहाबाद नगर	17	बदायूं	मुख्य डाकघर बदायूं
7	अम्बेडकर नगर	मुख्य डाकघर अकबरपुर	18	बदायूं	गुन्नौर
8	औरैया	औरैया	19	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
9	आजमगढ़	मुख्य डाकघर आजमगढ़	20	बुलन्दद्गाहर	मुख्य डाकघर, खुर्जा
10	आजमगढ़	निजामाबाद	21	चन्दौली	मुख्य डाकघर चन्दौली
11	बागपत	बागपत	22	चित्रकूट	मुख्य डाकघर कर्वी

23	देवरिया	मुख्य डाकघर देवरिया	53	कानपुर देहात	उप डाकघर अकबरपुर
24	देवरिया	सलीमपुर	54	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर
25	एटा	मुख्य डाकघर एटा	55	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर कानपुर कैण्ट
26	एटा	जलेसर	56	कानपुर नगर	मुख्य डाकघर नवाबगंज
27	इटावा	मुख्य डाकघर इटावा	57	फैजाबाद	उप डाकघर बीकापुर
28	फैजाबाद	मुख्य डाकघर फैजाबाद	58	फरूर्खाबाद(फतेहगढ़)	मुख्य डाकघर फतेहगढ़
29	बहराईच	मुख्य डाकघर बहराईच	59	फतेहपुर	मुख्य डाकघर फतेहपुर
30	बलिया	मुख्य डाकघर बलिया	60	फतेहपुर	उप डाकघर बिन्दकी
31	बलिया	मुख्य डाकघर रसड़ा	61	फिरोजाबाद	मुख्य डाकघर फिरोजाबाद
32	बलरामपुर	मुख्य डाकघर बलरामपुर	62	फिरोजाबाद	उप डाकघर शिकोहाबाद
33	बांदा	मुख्य डाकघर बांदा	63	गौतमबुद्ध नगर	मुख्य डाकघर नोएडा
34	बांदा	उप डाकघर बबेरू	64	गौतमबुद्ध नगर	दादरी
35	बाराबंकी	बाराबंकी	65	गाजियाबाद	मुख्य डाकघर गाजियाबाद
36	बाराबंकी	हैदरगढ़	66	गाजियाबाद	मोदीनगर
37	बरेली	मुख्य डाकघर बरेली	67	गाजीपुर	गाजीपुर
38	बरेली	बरेली नगर	68	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद युसुफपुर
39	बरेली	आंवला	69	गोण्डा	मुख्य डाकघर गोण्डा
40	बस्ती	मुख्य डाकघर बस्ती	70	गोण्डा	नवाबगंज
41	गोरखपुर	उप डाकघर बांसगांव	71	गोरखपुर	मुख्य डाकघर गोरखपुर
42	हमीरपुर	मुख्य डाकघर हमीरपुर	72	गोरखपुर	मुख्य डाकघर कुनराघाट
43	हरदोई	मुख्य डाकघर हरदोई	73	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ कैण्ट
44	हरदोई	मुख्य डाकघर सण्डीला	74	मेरठ	मुख्य डाकघर मेरठ नगर
45	जालौन	मुख्य डाकघर उरई	75	मेरठ	सरधना
39	बरेली	आंवला	76	मिर्जापुर	मुख्य डाकघर मिर्जापुर
40	बस्ती	मुख्य डाकघर बस्ती	77	मिर्जापुर	चुनार
41	गोरखपुर	उप डाकघर बांसगांव	78	मुरादाबाद	मुरादाबाद
42	हमीरपुर	मुख्य डाकघर हमीरपुर	79	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा
43	हरदोई	मुख्य डाकघर हरदोई	80	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर सम्भल
44	हरदोई	मुख्य डाकघर सण्डीला	81	मुरादाबाद	मुख्य डाकघर चंदौसी
45	जालौन	मुख्य डाकघर उरई	82	मुजफ्फरनगर	मुख्य डाकघर मुजफ्फरनगर
46	जालौन	उप डाकघर कालपी	83	मुजफ्फरनगर	खतौली
47	जौनपुर	मुख्य डाकघर जौनपुर	84	पीलीभीत	मुख्य डाकघर पीलीभीत
48	जौनपुर	मुख्य डाकघर मडियांहू	85	प्रतापगढ	मुख्य डाकघर प्रतापगढ
49	झांसी	मुख्य डाकघर झांसी	86	प्रतापगढ़	पट्टी
50	झांसी	उप डाकघर मऊरानीपुर	87	रायबरेली	मुख्य डाकघर रायबरेली
51	ज्योतिबाफूलेनगर	मुख्य डाकघर अमरोहा	88	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर शाहजहांपुर
52	कन्नौज	मुख्य डाकघर कन्नौज	89	शाहजहांपुर	मुख्य डाकघर तिलहर

90	सिद्धार्थ नगर	मुख्य डाकघर बांसी	112	वाराणसी	उप डाकघर बी.एच.यू.
91	कौशाम्बी	मुख्य डाकघर सिराथू	113	संतरविदास नगर	ज्ञानपुर
92	कुशीनगर	मुख्य डाकघर पडरौना	114	खीरी	मुख्य डाकघरगोलागोकर्णनाथ
93	लखीमपुर खीरी	मुख्य डाकघर खीरी	115	रायबरेली	मुख्य डाकघर लालगंज
94	ललितपुर	मुख्य डाकघर ललितपुर	116	रामपुर	मुख्य डाकघर रामपुर
95	लखनऊ	प्रधान डाकघर लखनऊ	117	रामपुर	बिलासपुर
96	लखनऊ	मुख्य डाकघर चौक लखनऊ	118	सहारनपुर	मुख्य डाकघर सहारनपुर
97	लखनऊ	दिलकुशा	119	सहारनपुर	देवबन्द
98	लखनऊ	आर.एस.एम.नगर	120	संतकबीरनगर	मुख्य डाकघर खलीलाबाद
99	लखनऊ	अलीगंज	121	संत रविदासनगर	भदोही
100	महराजगंज	मुख्य डाकघर महराजगंज	122	सीतापुर	मुख्य डाकघर सीतापुर
101	महोबा	मुख्य डाकघर महोबा	123	सीतापुर	उप डाकघर सिधौली
102	मैनपुरी	मुख्य डाकघर मैनपुरी	124	सीतापुर	उप डाकघर सीतापुर नगर
103	मैनपुरी	उप डाकघर मैनपुरी नगर	125	सोनभद्र	बड़ा डाकघर राबर्ट्सगंज
104	मथुरा	मुख्य डाकघर मथुरा	126	श्रावस्ती	भिनगा
105	मथुरा	उप डाकघर छाता	127	सोनभद्र	शक्तिनगर
106	मऊ	मुख्य डाकघर मऊनाथ भंजन	128	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा फोर्ट
107	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर सुलतानपुर	129	आगरा	मुख्य डाकघर आगरा कैन्ट
108	सुलतानपुर	मुख्य डाकघर अमेठी	130	आगरा	संजय पैलेस
109	उन्नाव	उन्नाव	131	कांशीराम नगर	कासगंज
110	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी			
111	वाराणसी	मुख्य डाकघर वाराणसी कैण्ट			

(1) आवेदन पत्र इन अधिसूचित डाकघरों से विहित शुल्क रू0-50/-का भुगतान करने पर क्रय किये जा सकेंगें, जिसकी रसीद भी सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी ।

(2) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर में अन्तिम तिथि दिनांक 10-08-09 को सायं 05:00 बजे तक अवश्य जमा कर दिये जायें। इसके पश्चात आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

(3) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र क्रय कर लेने पर उसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं ।

(4) आवेदन पत्र कृपया बोर्ड को न भेजे जांय, बल्कि उन्हें जिस पोस्ट आफिस से क्रय किया गया है, उसी पोस्ट आफिस में जमा किया जाये ।

भर्ती–अर्हता एवं प्रकिया:–

आरक्षी के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता एवं प्रक्रिया निम्नवत् हैं:–

क0 सं0	अर्हता	पुरूष	महिला	अभ्युक्ति
1	आयु	अभ्यर्थी ने दिनांक 01-01-2009 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-01-1991 के पश्चात न हुआ हो तथा दिनांक 02-01-1987 से पूर्व न हुआ हो ।	अभ्यर्थी ने दिनांक 01-01-2009 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-01-1991 के पश्चात न हुआ हो तथा दिनांक 02-01-1984 से पूर्व न हुआ हो ।	–
2	शिक्षा	बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	–
3	अधिमानी अर्हतायें	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र 3-कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र 3-कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र	–
	प्रकिया	**पुरूष**	**महिला**	
1	न्यूनतम शारीरिक मानक	**ऊंचाई**– (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये-168 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये-160 से0मी0 **सीने का फुलाव**– (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये-84 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये-82 से0मी0 **टिप्पणी:**–न्यूनतम 5 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है ।	**ऊंचाई**– (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये-152 से0मी0 (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये-147 से0मी0 **वजन:**– 45 से 58 किलोग्राम	अर्हकारी

2	शारीरिक दक्षता	60 मिनट में 10 किमी0 की दौड़ पूरा किया जाना अनिवार्य है।	35 मिनट में 05 किमी0 की दौड़ पूरा किया जाना अनिवार्य है ।	अर्हकारी
3	चिकित्सा परीक्षण	मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट वरटिगो, स्पीच डिसएबिलिटी इत्यादि की जांच करायी जायेगी। विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण भी किये जा सकते है।	मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट वरटिगो, स्पीच डिसएबिलिटी इत्यादि की जांच करायी जायेगी। विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण भी किये जा सकते है।	अर्हकारी
4	लिखित परीक्षा	वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी:- 1-सामान्यज्ञान- 50 अंक 2-आंकिक और मानसिक सामर्थ्यपरीक्षण- 50 अंक 3-अभिरूचिपरीक्षण- 50 अंक 4-बुद्धिशक्तिपरीक्षण- 50 अंक **कुलयोग 200 अंक** **समयसीमा-02 घण्टे**	वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी:- 1-सामान्यज्ञान- 50 अंक 2-आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण- 50 अंक 3-अभिरूचिपरीक्षण- 50 अंक 4-बुद्धिशक्तिपरीक्षण-50 अंक **कुलयोग 200 अंक** **समयसीमा-02 घण्टे**	प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा कुल योग का 35 प्रतिशत औसत अंक ।

लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम:-

प्रश्नों का स्तर कर्तव्य सम्बन्धी रूपरेखा के अनुकूल होगा तथा प्रश्नपत्र की विषयवस्तु निम्न प्रकार होगी:-

1-सामान्य ज्ञान (General Knowledge)& Current events-समसामयिक घटनाएं, History-इतिहास, Culture-संस्कृति, Geography-भूगोल, Economics-अर्थशास्त्र, Indian Constitution-भारतीय संविधान, Sports-खेल, Literature-साहित्य, Science-विज्ञान, Basics/Fundamental of Information & Communication Technology सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, Environmental Studies-पर्यावरणीय ज्ञान, Basics of Language- Hindi Grammar भाषा का मौलिक ज्ञान- हिन्दी व्याकरण, Miscellaneous-विविध।

2-आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण (Numerical and Mental Ability Test)-

(1) आंकिक-Number System-संख्या पद्धति, Simplification-सरलीकरण, Decimals and Fraction-दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage-प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट, Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership-भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Mensuration-मेन्सुरेशन, Miscellaneous-विविध

(2) मानसिक सामर्थ्य परीक्षण-Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-ladsr-सम्बन्ध विद्लेषण, Codification-संकेतीकरण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy. शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test. व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Letter and number coding. अक्षर और संख्या संकेत, Direction sense Test. दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data.आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument.प्रभावी तर्क, Determining implied meanings. अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना ।

(3) अभिरूचि परीक्षण (Aptitude Test) -

Attitude towards the following-निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण:-

Public Interest-जनहित, Law and order-कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony-साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control-अपराध नियंत्रण, Rule of law-विधि का शासन, Ability of Adaptability-अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level).व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की)-Police System-पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order. समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Basic Law-विधि का मौलिक ज्ञान, Interest in Profession-व्यवसाय के प्रति रूचि, Mental toughness-मानसिक, दृढ़ता-Sensitivity towards minorities and underprivileged. अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity-लैंगिक संवेदनशीलता।

4-बुद्धि शक्ति परीक्षण (Intelligence Quotient Test):- Relationship and Analogy Test. सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar.असमान को

चिन्हित करना, Series Completion Test. श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test.संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test. दिशा ज्ञान परीक्षण, ठसववक त्मसंजपवद.रक्त सम्बन्ध, Problems based on alphabet. वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence test. समय-क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test. वेन आरेख और चार्ट सदृद्दा परीक्षण, Mathematical ability Test. गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order. क्रम में व्यवस्थित करना ।

टिप्पणी :-शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण एवं लिखित परीक्षा की तिथि, समय व केन्द्र की सूचना अनुक्रमांक सहित अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से यथासमय दी जायेगी, तथा वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जायेगी ।

आरक्षण व आयु सीमा में छूट:-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	02 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	05	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उपजिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
5	भूतपूर्व सैनिक	05	03	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
6	होमगार्ड्स	05	03	होमगार्ड्स प्रमाण पत्र	थ्जला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स
7	महिला	20	-	-	-

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और-

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नही माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के-

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

''भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योजक या अनायोजक के रूप में सेवा की हो और जो-

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नही किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नही किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है,

और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:-

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

<u>टिप्पणी:-</u>

(1) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा ।

(2) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण की रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों को लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण के आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में, जिनसे वह सम्बन्धित है, रखा जायेगा ।

(3) भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) होमगार्ड्स के जवान को अधिकतम आयु सीमा में छूट उसी दशा में प्राप्त होगी जब वे उक्त भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हों तथा उन्होनें दिनांक 01.01.09 तक होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यह छूट होमगार्ड्स के केवल पुरूष अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी ।

अन्य समूह

क्र0 सं0	समूह	अभ्युक्ति	प्रमाण पत्र	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	सेना में वीरगति पाये सैनिक के परिवार के आश्रित	आश्रित का तात्पर्य मृतक सैनिक की विधवा पत्नी, पुत्र तथा पुत्री से है। अन्य बातों के समान रहते हुए अधिकतम दो आश्रितों तक को नियुक्त किया जा सकता है ।	आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
2	केन्द्रीय शासन के जनगणना विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारी	जनगणना विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिनांक 01-01-09 को अधिकतम आयु में इस सीमा तक छूट दी जायेगी जितनी निरन्तर सेवा उन्होंने छंटनी के दिनांक को जनगणना विभाग में की हो।	डिस्चार्ज सर्टिफिकेट	विभाग के सक्षम प्राधिकारी

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें:-

(1) जो अभ्यर्थी अपने चयन हेतु स्वयं अथवा किसी के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई सिफारिस/प्रलोभन अथवा दबाव डलवाने का प्रयास करेगा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

(2) भर्ती से सम्बन्धित अन्य जानकारी पूर्व प्रकाद्दित विज्ञप्ति दिनांक 17-02-2009, आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायी गयी अनुदेद्दा पुस्तिका एवं वेबसाइट http://uppolice.up.nic.in व http://uppolice.up.nic.in/uppolrecpro/index.htm से प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी भर्ती से सम्बन्धित अपनी पृच्छाओं का उत्तर 9559513761 नम्बर पर एस0एम0एस0 भेजकर प्राप्त कर सकते हैं ।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

<u>प्रारूप–1</u>

<u>उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................ सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी ग्राम...................तहसील.......... ....नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की...... ....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी......................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के... ....ग्राम...........................तहसील.................नगर............................. जिला..........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान................................ हस्ताक्षर.............................

दिनांक.............................. पूरा नाम.............................

पदनाम ....

मुहर..................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

<u>प्रारूप–2</u>

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................ सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी ग्राम...................तहसील.......... ....नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की...... ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा

विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.................................
....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम............................तहसील..................
...........नगर.............................जिला..........................में सामान्यतः रहता है ।

स्थान.................................   हस्ताक्षर..............................

दिनांक..............................   पूरा नाम.............................

पदनाम...............................

मुहर.................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

<u>प्रारूप-3</u>

<u>उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-4/3/1982-कार्मिक-2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..निवासी...........
....................ग्राम..........................तहसील.....................नगर........................
जिला......................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)........................ पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...................................के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनांक......................................   हस्ताक्षर......................................

पूरा नाम......................................

पद नाम......................................

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ।

19-सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ ।

संख्या:पीएसआरपीबी-भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक:जून 25, ,2009

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

<u>उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।</u>

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 35000 आरक्षियों के भर्ती के सम्बन्ध में सूचना/विज्ञप्ति संख्या:भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 25-06-2009, तीन प्रादेशिक एवं तीन राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनमें राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर का कम से कम 1-1 अंग्रेजी का समाचार पत्र अवश्य हो। सूचना/विज्ञप्ति की हार्ड कापी छः प्रतियों में मय सी0डी0 के इस पत्र से संलग्न है ।

2- ज्ञातव्य हो कि जिन समाचार पत्रों में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 17-02-2009 एवं सूचना दिनांक 20-03-2009 प्रकाशित की गयी थी, उन सभी समाचार पत्रों में यह सूचना/विज्ञप्ति अवश्य प्रकाशित की जाय। साथ ही साथ यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इसका प्रचार-प्रसार हो ।

<u>संलग्नक:-</u>उपरोक्तानुसार ।

(रेणुका मिश्र)

अपर सचिव (भर्ती)

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ ।

प्रतिलिपि:-अपर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ।

19-सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ ।

संख्या:पीएसआरपीबी-भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक:जून 25, ,2009

सेवा में,

श्री रामधीन,
अपर निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 35000 आरक्षियों के भर्ती के सम्बन्ध में सूचना/विज्ञप्ति संख्या:भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 25-06-2009, तीन प्रादेशिक एवं तीन राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनमें राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर का कम से कम 1-1 अंग्रेजी का समाचार पत्र अवश्य हो। सूचना/विज्ञप्ति की हार्ड कापी छः प्रतियों में मय सी0डी0 के इस पत्र से संलग्न है ।

2- ज्ञातव्य हो कि जिन समाचार पत्रों में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या भर्ती-01/आरक्षी-01/09 दिनांक 17-02-2009 एवं सूचना दिनांक 20-03-2009 प्रकाशित की गयी थी, उन सभी समाचार पत्रों में यह सूचना/विज्ञप्ति अवश्य प्रकाशित की जाय। साथ ही साथ यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इसका प्रचार-प्रसार हो ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

(रेणुका मिश्र)
अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।